

08-03-2021

~~वकुलाप जारीकेत अप-1~~

~~विद्वान अधिवक्तागण के वरुन  
 बुनी गई, जारीनी के विद्वान  
 अधिवक्ता ने वरुन में निकेदन  
 किना कि विवादित आरानी के  
 समस्त खसरो व लड़क पर सम्मान  
 दिखाना मिले, जिगारी सं. 1 ने  
 ग्रह में ग्रह का बेचान कर दी,  
 है, इसलिए जारीनी का लड़क पर  
 1/2 हिस्सा में जितनी ग्रह जात्र  
 हो रही है, इसमें जिगारीगण किसी  
 प्रकार का निर्माण अफि न ही करे,  
 न हीं दखलअंदाजी करे!~~

~~जिगारी सं. 1, 3, 5 के विद्वान  
 अधिवक्ता ने जारीनी के एक हिस्से  
 पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए  
 किना, जारीनी के 1/2 हिस्सा के~~



*[Signature]*  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोतरा



तारीख  
हुक्म

~~अनुसार बाइपास आराजी समीपवर्ती  
व सड़क पर सम्मान छोड़ने के लिए  
सहमति प्रकार की गई, जेसी लिमिटेड  
के द्वारा निवेदन जारी की है~~

~~प्रक में दिनांक 9.06.2020 को  
पूर्व में जारी की गई है जिसमें~~

~~जारी की है खे नं. 227, 240,  
449/239, 452/243, 434/202, जं  
445/229 कुल रकम 195.15~~

~~कीला में 1/2 हिस्सा जारी की  
के आता है, उक्त जखरों की  
आराजी व सड़क पर जारी की है  
हिस्से में आवेदी अर्थात् परकिाशी~~

~~गण-विही प्रकार का निर्माण आदि  
करना, दस्तावेजों नहीं करे, नहीं  
विवादित आराजी को जारी की है एक  
हिस्से का केमान आदि किया जावे।~~



*[Signature]*  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

~~जमीनी का उपरोक्त विवरित आराजी  
 में 1/2 हिस्सा की समस्त खसरो  
 में व सड़क पर समान हिस्सा सुरक्षित  
 छोड़ने हेतु विज्याधीन को पाबन्द  
 किया जाता है, विज्याधीन शोध  
 रही अपने-अपने हिस्से की आराजी  
 पर निर्माण आदि करने से नहीं  
 रोका जावे, इस हेतु जमीनी को  
 पाबन्द किया जाता है जमीनी के  
 1/2 हिस्सा प्रभावित व्यक्ति के अलावा  
 बेचान व बंधन करने पर कोई रोक  
 टोक नहीं होगी।~~



~~(नरेश डानी)  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोतरा~~

~~निर्देश आज दि 08/03/2021 को कुले  
 न्यायालय में सुनाया गया। परमावली कुल  
 वाद के लाभ हमनीय हो परमावली में फल  
 सुकाल होकर नष्ट होकर है।~~

~~सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोतरा~~